



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271011
CG-DL-E-18032026-271011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1310]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1310]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1369(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH965G के कि.मी. 83.500 से कि.मी. 130.202 (अकलुज) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एसडीओ माळशिरस को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH965G के कि.मी. 83.500 से कि.मी. 130.202 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मालशिरस					
गांव का नाम: अकलूज					
1	11	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.0065 (हेक्टेयर)	0.0065
2	11P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
3	12	निजी	एग्रीकल्चर	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
4	15	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
5	15P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.0605 (हेक्टेयर)	0.0605
6	16	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
7	16P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
8	18	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
9	18P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
10	19	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
11	19P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
12	20	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
13	20P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
14	23	निजी	एग्रीकल्चर	0.067 (हेक्टेयर)	0.067
15	24	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.041 (हेक्टेयर)	0.041
16	24P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.0171 (हेक्टेयर)	0.0171
17	27	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
18	27P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
19	29	निजी	एग्रीकल्चर	0.0715 (हेक्टेयर)	0.0715
20	30	निजी	एग्रीकल्चर	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
21	33	निजी	एग्रीकल्चर	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
22	34	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
23	34P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.0135 (हेक्टेयर)	0.0135

24	35	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
25	35P	सामान्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.0205 (हेक्टेयर)	0.0205
26	ROAD	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
Total					0.8753

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP//LA/17/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 1369(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH965G in the stretch of land from Km. 83.500 to Km. 130.202 (Akluj) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO Malshiras in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH965G in the stretch of land from Km. 83.500 to Km. 130.202 (Akluj) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Malshiras					
Village: Akluj					
1	11	Common	Agriculture	0.0065 (Hectare)	0.0065
2	11P	Common	Non Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
3	12	Private	Agriculture	0.009 (Hectare)	0.009
4	15	Common	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
5	15P	Common	Non Agriculture	0.0605 (Hectare)	0.0605
6	16	Common	Agriculture	0.047 (Hectare)	0.047
7	16P	Common	Non Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
8	18	Common	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024

9	18P	Common	Non Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
10	19	Common	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
11	19P	Common	Non Agriculture	0.011 (Hectare)	0.011
12	20	Common	Agriculture	0.042 (Hectare)	0.042
13	20P	Common	Non Agriculture	0.017 (Hectare)	0.017
14	23	Private	Agriculture	0.067 (Hectare)	0.067
15	24	Common	Agriculture	0.041 (Hectare)	0.041
16	24P	Common	Non Agriculture	0.0171 (Hectare)	0.0171
17	27	Common	Agriculture	0.036 (Hectare)	0.036
18	27P	Common	Non Agriculture	0.0152 (Hectare)	0.0152
19	29	Private	Agriculture	0.0715 (Hectare)	0.0715
20	30	Private	Agriculture	0.065 (Hectare)	0.065
21	33	Private	Agriculture	0.0005 (Hectare)	0.0005
22	34	Common	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
23	34P	Common	Non Agriculture	0.0135 (Hectare)	0.0135
24	35	Common	Agriculture	0.047 (Hectare)	0.047
25	35P	Common	Non Agriculture	0.0205 (Hectare)	0.0205
26	ROAD	Government	Non Agriculture	0.017 (Hectare)	0.017
Total					0.8753

[F. No. NHAI/PIU/SLP//LA/17/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director